18 अनुमानित आय योजना - छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत
Big Relief for Small Businessmen

फुटकर व्यापारी के लिए – अनुमानित आयकर जमा योजना – धारा 44(AD) के तहतः

वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री या सकल प्राप्तियॉ 2 करोड़ रूपए तक के कारोबार करने वाले समस्त लघु व्यवसायियों के संबंध में प्रकल्पित कराधान की सीमा को विस्तारित किया जावेगा। ऐसे सभी करदाताओं को अपने कारोबार के 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय से उनकी आय घोषित करने का विकल्प होगा और इसके साथ ही वे बहियॉ रखने के अनुपालन भार से छूट का लाभ उठा सकतें हैं। प्रक्रिया सरलीकरण के रूप में उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की छूट देते हुए अपनी विवरणी दर्ज कराते समय व्यवसाय से उनकी समूची कर अदा करने की अनुमति दी जाएगी। यह नई योजना वित्त वर्ष 2010–11 से लागू है।

अब इस योजना को विस्तारित किया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत, HUF, तथा साझेदारी फर्म श्रेणी के ऐसे सभी व्यापारी शामिल हैं, जिनकी कुल वार्षिक टर्न ओवर (Annual Turnover) 200 लाख रूपए तक है।

परन्तु निम्न को छोडकरः

1. जो Limited Liability साझेदारी फर्म हो ,
2. धारा 44 AE के तहत ट्रान्सपोर्टरों हो ।
3. जिन्हे – धारा 10A, 10AA , 10B, 10BA तथा चैप्टर VIA (C- कुछ आय के विरूद्ध कटौतियॉ) मान्य है।

व्यापारी द्वारा किसी वर्ष में अनुमानित आय से कम आय घोषित की जाती है तो उसके अगले 5 वर्षों के लिए वह करदाता अनुमानित आय योजना 44 AD के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

धारा 44 (ADA) के तहत – प्रोफेशनल के लिए

वित्तीय वर्ष में सकल प्राप्तियॉ 50 लाख रूपए तक हो ऐसे प्रोफेशनल (सीए, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आदि) को अपनी सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत की दर पर पेशे से उनकी आय घोषित करने का विकल्प होगा

धारा 44 (AE) के तहत – ट्रान्सपोर्टरों के लिए

यह योजना उन करदाता के लिए है, जिनके पास अधिकतम 10 माल वाहक (Goods Carriages) है, तथा वह इन वाहनों को स्वयं चलाने के, किराये से या लीज पर देने आदि का व्यवसाय, वर्ष के दौरान कभी भी, किया हो। वर्ष 2013–14 तक आय का निर्धारण वर्ष 2014–15 से सभी प्रकार के वाहन के लिए दर 7,500 रू. प्रति वाहन प्रतिमाह कर दी गई है। तत्पश्चात इस आय पर, निर्धारित दर से आयकर की गणना की जाती है।

उपरोक्त अनुमानित आयकर जमा योजना निम्न शर्तों के तहत लागू होगीः

- इस प्रकार निर्धारित आय से व्यवसाय शीर्ष के अन्तर्गत धारा 30 से 38 तक अर्थात् ह्रास, किराया, विज्ञापन व्यापारिक ब्याज, मरम्मत, आदि पर किए गए व्यय के विरूद्ध कटौतियॉ मान्य नही होगी।
- करदाता चाहे तो, उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक आय दिखा सकता है।
- करदाता को इसके लिए किसी प्रकार के खाते रखने की आवश्यकता नही है।
- साझेदारी फर्म होने पर धारा 40(b) के अंतर्गत साझेदारी को वेतन तथा उनकी पूँजी पर ब्याज की कटौती मान्य होगी।
- चैप्टर VIA (धारा 80 CCC से 80 U तक) के तहत, निर्धारित कटौतियॉ नियमानुसार दी जाएगी।
- करदाता की इन व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य कोई आय हो तो उसे भी जोड़ा जाएगा
- ठेकेदार, फुटकर व्यापारी व ट्रांसपोर्टर, यदि उपरोक्त निर्धारित दरों से कम आय दर्शातें हैं, तो उन्हे धारा 44 (AA) के तहत खाता रखना तथा धारा 44 AB के तहत अंकेक्षण कराना आवश्यक है, भले ही सकल प्राप्तियॉ 40 लाख रू. से कम क्यों ना हो।
- चैप्टर VIAC, के तहत कुछ आय के विरूद्ध कटौतियॉ) मान्य नही की जाएंगी।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:33 PM

37.5 लाख रू. तक वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए – जीरो इंकम टैक्स

उदाहरण 1 – वित्तीय वर्ष 2016–17 में यदि एक व्यापारी की व्यवसाय से कुल प्राप्तियॉ 37.5 लाख रू. है तो अनुमानित आयकर जमा योजना धारा 44(*AD*) के तहत भुगतान योग्य आयकर की गणना :–

हल –

(1) कुल आय = कुल प्राप्तियों का 8% = 37,50,000 x 8%	=	3,00,000
(2) कुल करयोग्य आय	=	3,00,000
(3) आयकर से छूट की मौलिक सीमा	=	2,50,000
(4) इसलिए कुल आय पर कर– 5,000 तथा आयकर से छुट 87 ए के तहत 5,000 इसलिए कुल देयकर – निरंक		

81.5 लाख रू. तक वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए – जीरो इंकम टैक्स का फार्मूला...

उदाहरण 2 – वित्तीय वर्ष 2016–17में यदि एक व्यापारी की व्यवसाय से कुल प्राप्तियॉ 81.5 लाख रू. है और उसने दुकान किराया पर 24,000 रू ., टेलीफोन पर 36,000 रू . व्यय किया। कर बचाने हेतु पीपीएफ में 90,000 रू. तथा जीवन बीमा पर 60,000 रू. का प्रिमियम चुकाया। गृह ऋण पर देय ब्याज 2,00,000 रू. है आयकर की गणना करें।

हल – अनुमानित आयकर जमा योजना धारा 44(AF) के तहत भुगतान योग्य आयकर की गणना :–

(1) कुल आय = कुल प्राप्तियों का 8% = 81,50,000X 8%	=	6,50,000
(2) घटाऍं :– धारा 24 के तहत छुट की राशि गृह ऋण पर देय ब्याज (यदि साझेदारी फर्म हो तो पार्टनर को दिए गए वेतन की कटौती भी मिलती है)	=	2,00,000
(3) घटाऍं :– धारा 80C के तहत छुट की राशि : (PPF 90,000 + LIC 60,000)	=	1,50,000
(4) कुल करयोग्य आय	=	3,00,000
(5) आयकर से छूट की मौलिक सीमा	=	2,50,000
(6) इसलिए कुल आय पर कर	=	5,000
(7) धारा 87–ए के तहत कर से छूट	=	5,000
(8) इसलिए कुल देय आयकर	=	निरंक

100 लाख रू. तक वार्षिक टर्न ओवर वाले पार्टनरशीप फर्म के लिए – जीरो इंकम टैक्स का फार्मूला

उदाहरण 3 – वित्तीय वर्ष 2016–17 में यदि एक पार्टनरशीप फर्म के व्यवसाय से कुल प्राप्तियॉ 100 लाख रू. है, फर्म ने दुकान किराया पर 24,000 रू ., टेलीफोन पर 36,000 रू . व्यय किया। कर बचाने हेतु पीपीएफ में 20,000 रूपये तथा जीवन बीमा पर 1,00,000 रू. का प्रिमियम चुकाया। गृह ऋण पर देय ब्याज 1,30,000 रू. है आयकर की गणना करें।

हल – अनुमानित आयकर जमा योजना धारा 44(AF) के तहत भुगतान योग्य आयकर की गणना :–

(1) कुल आय = कुल प्राप्तियों का 8% = 1,00,00,000 x 8 %	=	8,00,000
(2) घटाऍं : साझेदारी फर्म के पार्टनर को दिए गए वेतन व पूंजी पर ब्याज की कटौती	=	1,50,000
(3) घटाऍं : धारा 24 के तहत छुट की राशि गृह ऋण पर देय ब्याज	=	2,00,000
(4) घटाऍं : धारा 80 C के तहत छुट की राशि : (PPF 90,000 + LIC 60,000)	=	1,50,000
(5) कुल करयोग्य आय	=	3,00,000
(6) आयकर से छूट की मौलिक सीमा	=	2,50,000
(7) इसलिए कुल आय पर कर	=	5,000
(8) धारा 87–ए के तहत कर से छूट	=	5,000
(9) इसलिए कुल देय आयकर	=	निरंक